

189

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

107 - 3132 - I + 6

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक

12015-16

पुनरीक्षणकर्ता/ आवेदक : श्री राम नेमा पिता श्री घनश्याम नेमा उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी- स्टेशन गंज, कंदेली, नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)

विरुद्ध

गैरपुनरीक्षणकर्ता/ म.प्र. शासन
अवेदक

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 759/अ-20(1)/1998-99 में पारित आदेश दिनांक 30.08.1999 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधार पर प्रस्तुत करता है:-

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता स्टेशन गंज, कंदेली, नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) का स्थाई निवासी है ।

यह कि, न्यायालय नजूल अधिकारी नरसिंहपुर द्वारा राजस्व मामला कमांक 20/अ-20 (1)/1992-93 में पारित आदेश दिनांक 20.12.1994 के आधार पर पुनरीक्षणकर्ता के आवेदन के आधार पर नरसिंहपुर नगर स्थित शीट कमांक 23, प्लॉट नं. 7 में से 492 वर्गफुट का आवंटन निवास प्रयोजन हेतु स्थाई पट्टा प्रदान किया गया था उक्त पट्टे की प्रति यहां संलग्न है, जो प्रदर्श पी/1 है ।

3. यह कि, आवेदक से दुर्भावनाग्रस्त व्यक्तियों द्वारा उक्त संबंध में शिकायत की गई जिस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को प्रदाय उक्त पट्टे के विरुद्ध स्वमेव निगरानी में



14/9/16

14/9/16

14/9/16

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर


अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3132/एक/2016

जिला-नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18.10.16	<p>यह निगरानी आवेदक द्वारा अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक 759/अ-20(1)/1998-99 में पारित आदेश दिनांक 30.08.1999 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक को नजूल अधिकारी अपर कलेक्टर नरसिंहपुर के प्रकरण क्रमांक 20/अ-20(1)/1992-93 में पारित आदेश दिनांक 16.12.1994 के आधार पर आवेदक द्वारा किये गये आवेदन के उपर नरसिंहपुर नगर स्थित शीट क्रमांक 23 प्लॉट नं. 7/1 में से 492 वर्गफुट का आवंटन व्यवसायिक प्रयोजन हेतु स्थाई पट्टा प्रदान किया गया था। शिकायत किये जाने पर प्रकरण अतिरिक्त कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा स्वमेव निगरानी में लिया गया जिसमें आवेदक की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये और उन्होंने जबाव प्रस्तुत किया तथा आवेदक के जबाव के आधार पर आदेश दिनांक 30.08.1999 पारित कर अपर कलेक्टर, नरसिंहपुर का आलोच्य आदेश दिनांक 16.12.1994 परिपत्र चार-1 की कण्डिका 13 (दो) के विपरीत होने से निरस्त किया गया। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>3- निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।</p> <p>4- शासन के अभिभाषक ने यह आपत्ति प्रस्तुत की है कि वर्तमान प्रकरण राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 के अन्तर्गत सुनवाई का अधिकार राजस्व मण्डल को नहीं है उन्होने यह भी बताया कि अतिरिक्त कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष विलंब से निगरानी प्रस्तुत की गयी है</p>	






इसलिये प्रकरण सुनवाई योग्य नहीं है।

5- विचार योग्य यह है कि क्या राजस्व मण्डल को राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत अपील/निगरानी सुनने के अधिकार है अथवा नहीं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बानमौर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड मुरैना विरुद्ध म.प्र. राज्य 2012 आर.एन. 385 में व्यवस्था दी है "Maintainability of appeal - order passed by Revenue Officer under provision of M.P. Revenue Book Circulars - appeal against such order is maintainable before Board of Revenue." अतः राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत विचारित कार्यवाहियों में आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील/निगरानी सुनने की अधिकारिता राजस्व मण्डल को है इसके कारण सूची अभिभाषक का तर्क माने जाने योग्य नहीं है।

6- यह सही है कि अतिरिक्त कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर आदेश दिनांक 30.08.1999 के विरुद्ध इस न्यायालय में निगरानी वर्ष 2016 में प्रस्तुत की गयी है परन्तु आवेदक की ओर से अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र देकर बताया गया कि अतिरिक्त आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर में नियुक्त अभिभाषक ने उसे आदेश की जानकारी नहीं दी। आदेश की जानकारी होने पर नकल हेतु आवेदन दिनांक 30.08.2016 को प्रस्तुत किया गया एवं नकल दिनांक 30.08.2016 को प्राप्त हुयी, तब से अभिभाषक फीस के बंदोबस्त में समय लगा तत्पश्चात् दिनांक 14.09.2016 को माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है। वसीरवी विरुद्ध अब्दुल वाहव 1983 जे.एल.जे के न्यायदृष्टांत में स्पष्ट किया गया है कि अभिभाषक की त्रुटि के लिये पक्षकार को दण्डित नहीं करना चाहिये एवं न्याय हेतु में मामला गुणागुण पर विनिश्चत करना चाहिये, अतः आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 में दिया गया विवरण समाधान कारक होने से विलंब क्षमा किये जाने योग्य है।

7- अपर कलेक्टर, नरसिंहपुर के नजूल प्रकरण क्रमांक 20/ए-20(1)/1992-93 में पारित आदेश दिनांक 16.12.1994 के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदक को भूमि का आवंटन विधिवत् रूप से किया गया है अतिरिक्त कमिश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर ने अपने आदेश में पट्टे को निरस्त करने का कोई भी वैधानिक कारण नहीं बताया गया अकारण ही पट्टे को निरस्त

R
1/14



किया जाना अवैधानिक व अनुचित है चूंकि कलेक्टर द्वारा पट्टा देते समय नियमानुसार कार्यवाही की गयी है जिसमें बिना किसी त्रुटि का उल्लेख करते हुये आदेश पारित करना नियमानुसार एवं वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है। क्योंकि लम्बे समय पश्चात् प्रकरण को स्वमेव पुनरीक्षण में नहीं लिया जा सकता है इस संबंध में 1998 (1) म.प्र. वीकली नोट्स 26 मोहम्मद कवि बनाम फतमाबाई इब्राहिम का न्यायदृष्टांत विचारणीय है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

8- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 759/अ-20(1)/1998-99 में पारित आदेश दिनांक 30.08.1999 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। तथा अपर कलेक्टर नरसिंहपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 20/ए-20(1)/1992-93 में पारित आदेश दिनांक 16.12.1994 स्थिर रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं।


सदस्य

